सरोगेसी बिल को बेहतर बनाना

लेखक - अबंतिका घोष (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (सामाजिक मुद्दे) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

11 फरवरी, 2020

"हाल ही में एक प्रवर समिति ने सरोगेसी विनियमन विधेयक पर अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें सिफारिश की गई है कि करीबी रिश्तेदारों के लिए सरोगेसी को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। इस आलेख में हम 2016 विधेयक के प्रावधानों और इसकी एक लंबी यात्रा पर एक नजर डालेंगे।"

हाल की एक रिपोर्ट में संसद की एक प्रवर समिति ने सिफारिश की है कि सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 से विवादास्पद क्लॉज, जिसमें सरोगेसी को केवल 'करीबी रिश्तेदारों' तक सीमित किया गया था, को हटाने की सिफारिश की है, ताकि आधुनिक तकनीक का लाभ बांझ दंपतियों को और अधिक आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। वर्तमान रिपोर्ट विधेयक की उत्पत्ति, इसके प्रावधानों कुछ प्रगतिशील संशोधनों का संकेत दे रही है, इस पर एक नजर डालेंगे।

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक के प्रावधान क्या हैं?

सरोगेसी विधेयक, 23-50 वर्ष (महिला) और 26-55 वर्ष (पुरुष) आयु समूहों में बांझ भारतीय विवाहित जोड़े को सरोगेसी की अनुमति देने का प्रस्ताव करता है। दंपति को कम से कम पाँच साल के लिए कानूनी रूप से विवाहित होना चाहिए और भारतीय नागरिक होना चाहिए। उनके पास कोई जीवित बच्चा नहीं होना चाहिए, चाहे वो खुद का हो या गोद लिया हुआ हो। हालाँकि, यदि उनके पास ऐसा बच्चा है जो मानसिक या शारीरिक रूप से पीड़ित है या किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित है, तब वह इस स्थिति में सरोगेसी का इस्तेमाल कर सकता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की स्थायी समिति द्वारा बिल एक बार पहले भी जाँच से गुजर चुका है। इसमें सरोगेसी क्लीनिक को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है और राष्ट्रीय तथा राज्य सरोगेसी बोर्ड का गठन किया जाता है, साथ ही यह वाणिज्यिक सरोगेसी तथा सरोगेट बच्चे का परित्याग या अस्वीकार को दंडनीय बनाता है जिसमें 10 साल तक की कैद की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।

यह पहली बार 2016 में महिलाओं के शोषण की रिपोर्ट के मद्देनजर बहस का केंद्र बना था और इस रिपोर्ट में महिलाओं के शोषण के बारे में कहा गया था कि ये महिलाएँ छात्रावासों तक सीमित हैं, साथ ही इन्हें गर्भावस्था के बाद की चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं दी जाती है और न ही इन्हें बार-बार सरोगेट मदर बनने के लिए उचित भुगतान किया जाता है।

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सरोगेसी (विनियमन) विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में 15 बड़े बदलावों का सुझाव दिया गया है।
- सरोगेसी (विनियमन) विधेयक-2019 पर राज्यसभा की 23 सदस्यीय प्रवर समिति ने सरोगेसी प्रक्रिया से जुड़े बदलावों की सिफारिश की है।
- यह विधेयक 21 नवंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा प्रवर समिति के पास भेजा गया था।
- इस समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव हैं। विदित हो कि सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2019 अभी राज्यसभा से पारित नहीं हुआ है।

मुख्य सिफारिशें

- चिकित्सा खर्च और बीमा कवरेज से परे सरोगेट माँ को मुआवजा देने के लिए एक विकल्प रखना, जिसमें उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं, प्रसूति वस्त्र आदि का ध्यान रखना शामिल है और यह सरोगेट माँ की भलाई और देखभाल के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- संतानोत्पत्ति में अक्षम दंपतियों के लिए सरोगेट मदर (किराये की कोख) की भूमिका निभाने वाली महिला का "करीबी रिश्तेदार" होने की अनिवार्यता को हटाने की सिफारिश करते हुये कहा है कि इसके लिए किसी भी "इच्छुक महिला" को अनुमति दी जानी चाहिए।
- 35 साल से 45 साल तक की अकेले जीवनयापन कर रही महिलायें जिनमें विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित भी शामिल हैं, को सरोगेसी का लाभ लेने की अनुमति दी जा सकती है।
- सरोगेट माँ के लिए बीमा कवर का दायरा प्रस्तावित 16 माह से बढ़ा कर 36 माह किया जाना चाहिए।
- इनमें असुरक्षित यौन संबंध बनाने के पाँच साल बाद गर्भधारण करने में अक्षमता के तौर पर बांझपन की परिभाषा को हटाने की सिफारिश भी शामिल है।
- सरोगेसी के जरिए पैदा हुए बच्चे के हितों की रक्षा के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी बच्चे की कस्टडी के बारे में आदेश सरोगेट बच्चे के लिए जन्म शपथ पत्र होगा।

प्रवर समिति ने क्या बदलाव सुझाए हैं?

भाजपा के राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने सिफारिश की है कि "करीबी रिश्तेदारों" के खंड को हटा दिया जाना चाहिए और किसी भी "इच्छुक" महिला को सरोगेट माँ बनने की अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते कि अन्य सभी आवश्यकताएँ पूरी की गयी हो और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मंजूरी मिली हो। समिति ने वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध का पुरजोर समर्थन किया है।

इसने यह भी सिफारिश की है कि 35 और 45 वर्ष की आयु की तलाकशुदा और विधवा महिलाएँ एकल पैरेंट बनने में सक्षम हो, इसके अलावा यदि कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र है जो यह साबित करता है कि वे संभवत: गर्भ धारण नहीं कर सकते तो नि:संतान विवाहित जोड़ों के लिए पाँच साल की प्रतीक्षा अवधि की आवश्यकता को माफ किया जा सकता है। इसने सिफारिश की है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों को सरोगेसी सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

हालाँकि, समिति ने एकल माता-पिता (पुरुष या महिलाओं) को शामिल करने के लिए परिभाषा का विस्तार करने की सिफारिश नहीं की है। इसका मतलब है कि मनोरंजन उद्योग के सभी लोग तुषार कपूर, करण जौहर और एकता कपूर जैसे लोग अभी भी सरोगेसी मार्ग का उपयोग करने के पात्र नहीं हैं। उन सभी ने पहले से ही उस मार्ग का उपयोग किया है।

प्रवर समिति ने यह भी सिफारिश की कि एआरटी बिल (जो सहायक प्रजनन तकनीकों से संबंधित है) को सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 से पहले लाया जाना चाहिए, ताकि सभी उच्च तकनीकी और चिकित्सा पहलुओं को सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 में ठीक से संबोधित किया जा सके।

एआरटी बिल क्या है?

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक 2008 से बना हुआ है। इसका उद्देश्य सभी आईवीएफ क्लीनिक और शुक्राणु बैंकों का पंजीकरण, एआरटी क्लीनिक के वियोजन और जनन कोश बैंकों के पंजीकरण के माध्यम से इस क्षेत्र को नियंत्रित करना है। फर्टिलिटी मार्केट के नियमन के लिए इसे राष्ट्रीय और राज्य बोर्डों की भी आवश्यकता है।

प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार, "सरोगेसी सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (एआरटी) का एक अहम हिस्सा है और इसलिए एआरटी बिल के अधिनियमित होने के बाद ही सरोगेसी विधेयक लागू होना चाहिए। एआरटी के समक्ष सरोगेसी बिल लाना अप्रासंगिक होगा और बोर्ड के दोहराव को भी पैदा करेगा। एआरटी बिल के पहले प्रस्तावित विधेयक के रूप में एआरटी बिल के भीतर सरोगेसी बिल को शामिल करने के सुझाव दिए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की स्थायी समिति ने भी सरकार से "दृढ़ता से सिफारिश" की है कि दोनों विधेयकों को एक साथ लाया जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि

- लोकसभा ने सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 को पारित किया था।
- इस विधेयक में व्यावसायिक सेरोगेसी (commercial surrogacy) पर प्रतिबंध लगाने, राष्ट्रीय सेरोगेसी बोर्ड व राज्य सेरोगेसी बोर्ड के गठन तथा सरोगेसी की गतिविधियों और प्रक्रिया के विनियमन के लिये उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
- भारत के विधि आयोग की 228वीं रिपोर्ट में भी नैतिक परोपकारी सरोगेसी की अनुमति की सिफारिश की गई है।
- सरोगेसी का मुद्दा जैव नैतिकता से जुड़ा हुआ है।

क्या होती है सरोगेसी?

- सरोगेसी का अर्थ एक महिला और एक दंपति के बीच का एक समझौते से है, जो अपनी स्वयं की संतान चाहता है।
- दूसरे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ शिशु के जन्म तक एक महिला की 'किराए की कोख' है।
- गर्भवती होने से लेकर डिलीवरी तक महिलाओं की अच्छी तरह से देखभाल होती है और साथ ही उन्हें अच्छी-खासी धनराशि भी दी जाती है।
- सरोगेसी की सुविधा कुछ विशेष एजेंसियों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इन एजेंसियों को आर्ट क्लीनिक कहा जाता है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के दिशा-निर्देशों पर अमल करती हैं।

भारत का सरोगेसी बाज़ार कितना बड़ा है?

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा बालपार्क के अनुमान के अनुसार, प्रति वर्ष लगभग 2,000 बच्चे व्यावसायिक सरोगेसी के माध्यम से जन्म लेते हैं, जहाँ एक महिला को उसके गर्भ को किराए पर देने के लिए सहमति राशि का भुगतान किया जाता है। सीआईआई के आँकड़े कहते हैं कि सरोगेसी 2.3 बिलियन डॉलर का एक उद्योग है जो नियमों की कमी और गरीबी के कारण फल-फूल रहा है।

पिछली बार जब संसदीय पैनल द्वारा विधेयक की जाँच की गई थी तब क्या हुआ था?

विधेयक को पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की संसदीय स्थायी समिति द्वारा जाँच की गई थी। उस समिति ने सिफारिश की थी कि मुआवजा आदर्श होना चाहिए और शब्द "परोपकारी" को "क्षतिपूर्ति" से बदल दिया जाना चाहिए। जोड़- जिसमें लिव-इन रिलेशनशिप शामिल हैं- उन्हें परिवार के भीतर और बाहर दोनों से सरोगेट चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि परोपकारी सरोगेसी शोषण के समान ही है।

समिति के अनुसार, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में "करीबी रिश्तेदार" की स्थिति दुरुपयोग के लिए खुली है। "परिवारों के भीतर पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना और सत्ता समीकरणों को देखते हुए, परिवार के प्रत्येक सदस्य में माँग का विरोध करने की क्षमता नहीं होती है। इच्छुक दंपति के एक करीबी रिश्तेदार को सरोगेट बनने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो वाणिज्यिक सरोगेसी की तुलना में और भी अधिक शोषणकारी हो सकता है। हालाँकि, उस वक्त इन सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

स्थायी समिति के मामले में सरकार प्रवर समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। कई लोगों ने मूल बिल की पुरातन के रूप में आलोचना की है, हालाँकि, उम्मीद है कि विधेयक में अंततः कुछ प्रगतिशील संशोधन होगा।

इन सिफारिशों को बनाने वाली प्रवर समिति की अध्यक्षता करने वाले भूपेन्द्र यादव, कई अन्य महत्त्वपूर्ण संसदीय समितियों का हिस्सा रहे हैं, जिसमें दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2015 की संयुक्त समिति, संविधान (123वाँ संशोधन) विधेयक पर राज्यसभा की चयन समिति, 2017, शत्रु संपत्ति (संशोधन और सत्यापन) विधेयक, 2016 पर राज्य सभा की चयन समिति, GST बिल पर चयन समिति आदि।

संसदीय समितियाँ क्या होतीं हैं?

- संसद को अपने कामकाज निपटाने के लिए कई तरह की समितियों का सहयोग लेना पड़ता है। ये समितियाँ सरकारी कामकाज पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिहाज से भी जरूरी होती हैं।
- मुख्यतः दो तरह की संसदीय समितियाँ होती हैं-तदर्थ समिति एवं स्थायी समिति।
- तदर्थ समितियों का गठन किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है और उसका अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक कि वह अपना काम निपटा कर रिपोर्ट नहीं सौंप देतीं।
- तदर्थ समिति मुख्यतः दो प्रकार की होती है- प्रवर समिति और संयुक्त समिति। इन दोनों समितियों का गठन विभिन्न तरह के विधेयकों पर विचार करने के लिए किया जाता है।
- हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि सभी विधेयकों को सदन द्वारा विचार के लिए प्रवर समिति या संयुक्त समिति को सौंपा जाए।
- प्रवर समिति विधेयक के सभी प्रावधानों पर बारी-बारी से विचार करती है, जैसा कि दोनों सदनों में किया जाता है। समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रावधानों के बारे में सुझाव दिए जा सकते हैं।
- समिति विधेयक में दिलचस्पी रखने वाले एसोसिएशनों, सार्वजनिक निकायों या विशेषज्ञों से भी प्रमाण ले सकती है।
- विधेयक पर समग्रतापूर्वक विचार करने के बाद प्रवर समिति संशोधनों के साथ सदन को अपनी रिपोर्ट सौंप देती है। समिति के जो सदस्य किसी बिंदु पर असहमत होते हैं, वे अपनी असहमति रिपोर्ट के साथ जोड़ सकते हैं।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक 2008 के तहत् आई वी एफ क्लीनिक और शुक्राणु बैंकों का पंजीकरण होता है।
2. सरोगेट बच्चे का परित्याग करने पर 10 साल तक कैद और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं।

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements.

1. Under the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill 2008, IVF clinics and sperm banks are registered.
2. On abandoning a surrogate child includes imprisonment for 10 years and fine of up to Rs 5 lakh.

Which of the above statements is / are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) None of these

नोट : 10 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. सरोगेसी विनियमन विधेयक को लेकर संसदीय समिति की नई सिफारिशों की प्रासंगिकता बिल के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में दर्शाएं। (250 शब्द)

Mention the relevance of the new recommendations of the Parliamentary Committee on Surrogacy Regulation Bill in the context of the major provisions of the bill. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।

Committed